



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार

संख्या :: 148/06/E-01/DR/PCS/2026-27

दिनांक :: 07 अक्टूबर, 2026

विस्तृत विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2026

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2026 के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में रिक्त 67 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु दिनांक 09 सितम्बर, 2026 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या-A-1/E-1/2026-27 के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 29 सितम्बर, 2026 तक आमंत्रित किये गये थे।

2. उक्त विज्ञापन के अति महत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु सं०-08 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 29 सितम्बर, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन (**Edit/Correction**) किये जाने हेतु केवल एक बार के लिए आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर **Online Edit Window** लिंक दिनांक 07 अक्टूबर से 16 अक्टूबर, 2026 (रात्रि 11.59.59 बजे) तक खोला जायेगा, जिसके संबंध में दिशा-निर्देश विज्ञापन के बिन्दु संख्या 16 में ऑनलाइन आवेदन में संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत उल्लिखित हैं।

3. उक्त संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत हैं—
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन किये जाने हेतु दिशा-निर्देश:-

- (i) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् 05 कार्यदिवस के उपरान्त **Edit/Correction** का लिंक खोला जाएगा।
- (ii) **Edit/Correction** हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होगी।
- (iii) जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है, केवल वह अभ्यर्थी ही अपने ई-मेल आईडी0 एवं पासवर्ड से लॉग-इन कर पायेंगे।
- (iv) लॉग-इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में (मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी0 को छोड़कर) आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे।
- (v) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में **Edit/Correction** की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात् ही आवेदन पत्र में डाटा Update हो सकेगा।
- (vi) **Edit/Correction** की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् Edited Data ही अंतिम माना जायेगा।
- (vii) अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थियों को परिवर्तित श्रेणी/उपश्रेणी का शुल्क विज्ञापन की शर्तों के अनुसार देय होगा एवं अभ्यर्थी का शुल्क का भुगतान कर **Edit/Correction** की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। यदि अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी (डी0एफ0एफ0/उ0म0 इत्यादि) में बदलाव करता है जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उस उपश्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नहीं होगा। अभ्यर्थी को अन्य प्रविष्टियों में परिवर्तन/त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी को **Edit/Correction** की प्रक्रिया को **Final Submit** बटन पर क्लिक कर पूर्ण करना होगा।
- (viii) अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में दिये गये शुल्क को रिफंड नहीं किया जायेगा।
- (ix) इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त संशोधन/परिवर्तन (**Edit/Correction**) के अंतिम अवसर के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गयी किसी भी प्रविष्टियों/दावों को संशोधित/परिवर्तित करने के संबंध में प्रत्यावेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

-Sd-

(अशोक कुमार पाण्डेय)
सचिव।